



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)  
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पांचवाँ तल  
Kendriya Bhawan, 5th Floor  
सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024  
टेलीफैक्स/Telefax: 0522-2326696

पत्र सं०: 8बी/यूपी/09/77/2017 / 909

दिनांक: 16 मार्च, 2018

सेवा में,

नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक  
उ०प्र० वन विभाग  
17, राणा प्रताप मार्ग  
लखनऊ।

विषय: गेल इंडिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाईप लाईन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2०064771643 हे० वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक 2530/11-सी-FP/UP/Others/23971@2017 दिनांक 26.02.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.01.2018 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/ आख्या मांगी गयी जानकारी/सूचना प्रेषित की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रेषित की गयी जानकारी के तहत निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की पुनः आवश्यकता है:-

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत FRA 2006 प्रमाणपत्र का प्रारूप/कथन सही नहीं है।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के भाग-II में वृक्षों/पौधों की संख्या में विसंगति का निस्तारण किया जाए।
3. इन त्रुटियों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।


भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

*Kit*  
16/3/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव(वन), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर वृत्त, कानपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ वृत्त, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद।
5. वन संरक्षक, झांसी क्षेत्र, झांसी।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, झांसी, उरई एवं इलाहाबाद।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (निर्माण), गेल इण्डिया लि०, आरसीएफ बिल्डिंग, द्वितीय तल, टीसी/10वी, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
8. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ।
9. आदेश पत्रावली।

  
19/3/18

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-2680/11-सी-FP/UP/Other/23971/2017, लखनऊ, दिनांक: मार्च 19, 2018

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित कतिपय बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद एवं झांसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद।
4. मुख्य प्रबन्धक (निर्माण), गेल इण्डिया लि०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

  
19/3/18  
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्य  
20/3/18